राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4793/2022

सिजी मैथ्यू –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रभारी महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.09.2022
आदेश की दिनांक : 16.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपकेन्द्र बिची, फागी, जयपुर–द्वितीय 70 कि.मी. दूर कर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलर्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी के पुत्र का एक्सीडेंट हो गया है और वह ठीक से चलने में सक्षम नहीं है (अनुलग्नक–3), बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपीलार्थी की है। अपीलार्थी के पति जयपुर से बाहर निजी क्षेत्र में काम करते हैं। अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत राज की पूर्व स्वीकृति/सहमति से ही किया जा सकता है। आलौच्य आदेश राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (ii) का उल्लंघन है। अतः स्थानान्तरण अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को एवं कार्यमुक्ति

आदेश दिनांक 16.09.2022 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे की अपीलार्थी को निरंतर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर में कार्य करने दिया जावे एवं वेतन एवं समस्त प्रामाणिक लाभ प्रदान करें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्व अनुतोष चाहा है तथा प्रकरण में राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (ii) के उल्लंघन में स्थानान्तरण होने से निरस्त योग्य माना जाकर अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 में निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैः–

"2 (iii) "Transferred Activities" means activities, schemes, programs, missions of the Central or State Government entrusted to Panchayati Raj Institutions time to time;

(iv) "Transferred Employees" means employees working on the posts relating to activities transferred to the Panchayati Raj Institiutions;

8. Transfer:- Transfer of such transferred employees shall be made under the transfer policy and directions issued by the State Government from time to time, by:-

(i) the Administration and Establishment Committee of the Panchayat Samiti concerned within the same Panchayat Samiti.

(ii) the District Establishment Committee of the Zila Parishad concerned from one Paychayat Samiti to another Panchayat Samiti within the same District.

(iii) the department Concerned from one district to another district with the consent of the Panchayati Raj Department."

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) के आदेश क्रमांक एफ 4 (02) पंराज/सशक्त/2010/27 दिनांक 02.10.2010 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित Transferred Activities के संबंध में बिन्दु संख्या 4 (i) में उल्लेखित है किः–

''चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के सभी उप केन्द्र, एडपोस्ट, अपग्रेडेड सब सेन्टर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मय स्टाफ पंचायत समिति के अधीन दिये जावे। जिला परिषद् स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मय

स्टाफ हस्तान्तरित कर दिया जावे जो हस्तान्तरित चिकित्सा केन्द्रों का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।''

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों की सेवाएं Transferred Activities के रूप में स्थानान्तरित की गई है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर से उपकेन्द्र बिची, फागी, जयपुर–द्वितीय किया गया है। अपीलार्थी अभी शहरी क्षेत्र में कार्यरत है। राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसार Transferred Employees नहीं है। राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 के प्रावधान उक्त नियमों के नियम 2 (iii) में परिभाषित Transferred Activities के तहत Transferred Employees पर ही लागू होते है। परन्तु अपीलार्थी शहरी क्षेत्र में पदस्थापित होने के कारण राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 2 (iv) में परिभाषित Transferred Employees नहीं है। अतः उक्त स्थानान्तरण में राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (ii) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of*

posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.............................को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य